

देवघर समाहरणालय
(जिला भू अर्जन शाखा)

—: अधिसूचना :—

अधिसूचना संख्या 67/भू अ०

दिनांक : 19/01/18

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम :-किताराम सागर, थाना-मोहनपुर, थाना सं०-802, अंचल-मोहनपुर, जिला-देवघर में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना मोहनपुर से हंसडीहा नई रेल लाईन निर्माण परियोजना हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम-किताराम सागर, थाना-मोहनपुर, थाना सं०- 802, अंचल-मोहनपुर, जिला-देवघर में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 0.83 एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है—

क.स.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	2	51	रैयती	धानी-1	0.31	जहल यादव वो दिलीप यादव पे० गाजो महतो वो ललिता देवी वो अनिता देवी पे० लखन महतो अंश समान सा० सिंहरायडीह।	मौजा -तसरीपास-808 एवं आराजी बुतुरुआडी नं०-801	मौजा I-अराजी रामसागर नं०-803	अर्जित दाग का अंश रकवा	अर्जित दाग का अंश रकवा
2	2	50	रैयती	धानी-2	0.13	तथैव।				
3	2	49	रैयती	धानी-1	0.08	तथैव।				
4	2	52	रैयती	धानी-1	0.04	रामदेव यादव वो टिकेश्वर यादव पे० भुमेश्वर महतो वो कामेश्वर यादव वो विरेन्द्र यादव वो राजेश यादव वो मनोज यादव पे० जीवलाल महतो वो नुनेदेव यादव वो सुरेन्द्र यादव वो नागेन्द्र यादव पे० चिन्ता मणी महतो वो दिगम्बर यादव वो लुटा यादव वो बौधा यादव पे० दुखी यादव वो जहल यादव वो दिलीप यादव पे० गाजो महतो वो ललिता देवी वो अनिता देवी पे० लखन महतो अंश समान सा० सिंघरायडीह।				
5	2	48	रैयती	धानी-2	0.12	तथैव।				
6	2	47	रैयती	धानी-1	0.09	रामदेव यादव वो टिकेश्वर यादव पे० भुमेश्वर महतो वो कामेश्वर यादव वो विरेन्द्र यादव वो राजेश यादव वो मनोज यादव पे० जीवलाल महतो वो नुनदेव यादव वो सुरेन्द्र यादव वो नागेन्द्र यादव पे० चिन्तामणि महतो वो दिगम्बर यादव वो लुटा यादव वो बौधा यादव पे० दुखी महतो अंश समान सा० छोटबहियारी।				
7	2	47	रैयती	धानी-1	0.01	तथैव।				
8	5	46	रैयती	धानी-1	0.05	प्रकाश रजवार वो रंजीत रजवार पे० कालेश्वर रजवार वो बेबी देवी पे० छक्कू रजवार वो अक्कू				


9

						रजवार पे० तनु रजवार वो पन्तु रजवार वो वृजमोहन रजवार पे० चुन्नी रजवार वो बिरमा देवी वो पविया देवी वो देविया देवी पे० पांचू रजवार अंश समान सा० तसरीया।				
कुल रकवा-						0.83				

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विकय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेंगी।


20/1/18
समाहर्ता-सह-उपायुक्त,
देवघर।

ज्ञापांक 67 / भू अ०, देवघर, दिनांक 19/01/18

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।


प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, मोहनपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।


20/1/18
समाहर्ता-सह-उपायुक्त,
देवघर।